सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 287 राँची, मंगलवार, 21 जून, 2022 (ई०)

परिवहन विभाग

(लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा)

अधिसूचना

17 जून, 2022

ज्ञापांक -परि०वि०(स०सु०)-65/2017/245-- Supreme Court Committee on Road Safety (SCCoRS) द्वारा प्रदत्त निदेश तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 215 के प्रावधानों के तहत् विभागीय अधिसूचना संख्या 1435, दिनांक 31.12.2015 (यथासंशोधित) के माध्यम से झारखण्ड में राज्य सड़क परिषद् एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है।

जिला सड़क सुरक्षा समिति के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार (MoRTH) की अधिसूचना संख्या आरटी-25043/03/2017-आरएस दिनांक 30.08.2019 व पूर्तवर्ती अधिसूचना संख्या आरटी-25043/03/2017–-आरएस दिनांक 28.09.2017 के आलोक में यथावश्यक संशोधन व यथोचित कार्रवाई हेतु विभागीय पत्रांक 04 दिनांक 08.01.2020 के माध्यम से सभी उपायुक्त को निदेशित किया गया है ।

2. Supreme Court Committee on Road Safety के पत्रांक 05/ CoRS ⁄ 2022 दिनांक 29.03.2022 तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक RT-25043/03/2017-RSC Part (1) (204522), दिनांक 06.04.2020 द्वारा पूरे देश में जिला सड़क सुरक्षा समिति की संरचना में एकरूपता हेतु इसकी संरचना व कार्यो के संबंध में नवीन निर्देश संसूचित किये गये है।

3. उक्त के आलोक में झारखण्ड राज्य के प्रत्येक जिला हेतु जिला सड़क सुरक्षा समितियों की संरचना निम्नवत् निर्धारित की जाती है (संबंधित जिले के):-

(i) उपायुक्त	- अध्यक्ष,
(ii) जिले से संबंधित सभी माननीय संसद सदस्य (लोकसभा)	- सदस्य,
(iii) जिले से संबंधित सभी माननीय संसद सदस्य (राज्यसभा)	- सदस्य,
(iv) जिले के विधान सभा के सभी सदस्य (विधायक)	- सदस्य,
(v) पुलिस अधीक्षक	- सदस्य,
(vi) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	- सदस्य,
(vii) कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग	- सदस्य,
(viii) प्रतिनिधि, क्षेत्रीय कार्यलय, MoRTH	- सदस्य,
(ix) प्रोजेक्ट डायरेक्टर, NHAI	- सदस्य,
(x) नगर निगम/नगर पालिका/अधिसूचित शहरी क्षेत्र के कार्यकारी पदाधिकारी	- सदस्य,
(xi) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे सिविल सोसाईटी ऑर्गनाइज़ेशन अथवा NGO के प्रतिनिधि	- सदस्य,
(xii) जिला परिवहन पदाधिकारी	- सदस्य,
(xiii) जिला प्रशासक, राज्य राजमार्ग (State Highways) एवं मुख्य जिला सड़कें (MDRs)	- सदस्य सचिव

4. पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड द्वारा प्रत्येक जिला में कार्यरत अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को “जिला प्रशासक, राज्य राजमार्ग व प्रमुख जिला सड़कें” के रूप में नियुक्त/नामित किया जायेगा, जो जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य सचिव रहेंगे।

5. जिला सड़क सुरक्षा समिति के विचारार्थ विषय एवं कार्य निम्नवत् होंगे: -

(i) जिले में सड़क दुर्घटनाओं की समय- समय पर समीक्षा ।

(ii) राज्य सड़क सुरक्षा नीति के कार्यान्वयन और इसके तहत निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति की निगरानी करना।

(iii) Supreme Court Committee on Road Safety, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित समय- समय पर जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन करना ।

(iv) राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के निर्णयों का जिला में अनुपालन करना।

(v) जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर नजर रखना एवं इनके संबंध में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् को नियमित रूप से निम्नवत् अवगत कराना-

a) Details of the vehicle
b) Cause of crash
c) Details of spot investigation, evidence if any
d) Details of offender/s (if any)
e) Details of Victim/s and Victims latest condition
f) Types of injury caused
g) FIR registered, if any

(vi) निम्नलिखित सार्वजनिक डोमेन पर मासिक आधार पर सड़क दुर्घटना के आंकड़ें अपलोड करके प्रकाशित करनाः-

a) जिला के वेबसाईट पर
b) MoRTH के पोर्टल (http:morth-roadsafety.nic.in/edisha/inbox.aspx) पर

(vii) जिला सड़क सुरक्षा योजना (District Road Safety Plan) विकसित करना।

(viii) जिले में होनवाली सभी बड़ी सड़क दुर्घटनाओं के लिये मोटरयान अधिनियम की धारा 135 A के तहत फॉरेंसिक दुर्घटना जांच सुनिश्चित करना।

(ix) सड़क दुर्घटना से संबंधित Response Time में सुधार करने एवं अस्पतालों को Handover Time में सुधार करने के लिये एम्बुलेंस के Optimal placement को सुनिश्चित करना।

(x) जिले में सड़क दुर्घटना से संबंधित Historic Caseload के अनुसार विभिन्न प्रकार के एम्बुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(xi) जिले में व्यापक मृत्यु वाली दुर्घटनाओं के लिये आपातकालीन चिकित्सा योजना तैयार करना।

(xii) एक 'पूर्व सूचना प्रणाली' (Prior Notification System) की स्थापना के माध्यम से अस्पतालों और एम्बुलेंस के बीच संबंध सुनिश्चित करना। आपात स्थिति में बिस्तरों की उपलब्धता का पता लगाने के लिये अस्पतालों के बीच संपर्क सुनिश्चित करना।

(xiii) जिलों में सड़क सुरक्षा निधि की आवश्यकता, रख-रखाव व वितरण के लिये नोडल इकाई के रूप में कार्य करना तथा जब भी आवश्यक हो, इस हेतु राज्य सड़क सुरक्षा परिषद से सम्पर्क स्थापित करना।

(xiv) राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्/ लीड एजेन्सी को विशेष रूप से प्रमुख दुर्घटना संभावित क्षेत्रों/ ब्लैक स्पॉट आदि की पहचान के संबंध में नियमित रूप से जानकारी प्रदान करना और सड़क सुरक्षा के उपायों की सिफारिश करना। सड़क सुरक्षा के 4Es जैसे Engineering, Education, Enforcement & Emergency के संबंध में भी राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्/लीड एजेन्सी को महत्वपूर्ण Input प्रदान करना।

(xv) सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिये Good Samaritans को बढ़ावा देना।

(xvi) राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किये जाने पर निम्नलिखित के संबंध में सुझाव प्रदान करना:-

a) Rules U/s 107, U/s 138, U/s 176, U/s 210 D, U/s 215 D of the MV (A) Act, 2019
b) Schemes U/s 135 of the MV (A) act, 2019

6. जिला सड़क सुरक्षा समिति की कम-से-कम Virtual Platform पर पाक्षिक रूप से एवं प्रत्येक माह में (अध्यक्ष द्वारा निर्धारित स्थान पर) एक बार Physically बैठक आयोजित करनी होगी।

7. जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की कार्यवृत्त (कार्यवाही) बैठक के 48 घंटे के अंदर जिला के वेबसाईट पर अपलोड करके सार्वजनिक कर देनी होगी। इसके अतिरिक्त कार्यवृत्त (कार्यवाही) को MoRTH के प्रासंगिक वेबसाईट पर भी उनके द्वारा डिजाईन व अनुमोदित किये गये प्रारूप में अपलोड करना होगा।

8. जिला सड़क सुरक्षा समिति की संरचना एवं कार्यों के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचना व पत्र इस हद तक संशोधित माने जायेंगे।

9. अधिसूचना प्रारूप पर माननीय मुख्यमंत्री-सह-अध्यक्ष, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

श्री कमल किशोर सोन,
सचिव,
परिवहन विभाग।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 287 - 50